मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26–04–2013 को सम्पन्न बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के कार्य–कलापों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1. विभिन्न पावर कम्पनियों के तकनीकी अधिकारियों के लिए नियुक्ति पॉलिसी का प्रस्तुतीकरण मेसर्स पी.एफ.सी. द्वारा किया गया।

1.1 चार स्तर तक प्रोन्नति तथा एक उच्च स्तर में योग्यता–सह–वरीयता के आधार पर पदों को भरा जायगा। इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रोनिक्स तथा कॉमिनीकेशन/ कम्प्यूटर साईन्स /इनफ़ॉरमेशन टेकनोलॉजी / मेकेनीकल इंजिनियरिंग आदि संभाग के लिए संख्या नियुक्ति के समय आवश्यकतानुसार इंगित की जायगी।

1.2 (GATE) के स्कोर के आधार पर चयन किया जायगा तथा कम्पनी द्वारा अन्तर्वीक्षा में 20 प्रतिशत weightage दिया जा सकता है।

1.3 नियुक्ति के प्रथम दो साल अधिकारी प्रोवेशन पर रहेंगे एवं इस अवधि में इन्हें बिना कारण बताये सेवा मुक्त किया जा सकता है।

1.4 Subordinate Service के लिए अलग से कैडर बनाया जाना है और कुल चार ग्रेड रखा जाना है उसमें से दो main service से नीचे तथा एक basic level एवं एक Executive Engineer grade रहना चाहिए। Subordinate Service से main grade में प्रोन्नति नहीं होगी। अधिकारी सम्वर्ग में प्रथम प्रोन्नति चार साल के बाद दी जा सकती है (दो साल प्रोवेशन अवधि + अतिरिक्त दो साल)। Lateral entry के लिए, एक या दो स्तर में रिक्तियों के आधार पर प्रावधान किया जाना है। प्रोन्नति के दो साल के अन्दर परफॉरमेन्स असंतोषप्रद रहने पर संबंधित अधिकारी को पदावनत किया जा सकता है। नये पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला जायगा जिसमें अहर्त्ता के आधार पर विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत अधिकारी भी आवेदन दे सकते हैं।

1.5 अन्य राज्यों के पावर कम्पनियों के वेतनमान का भी मेसर्स पी.एफ.सी. द्वारा अध्ययन किया जाना है। अधिकारियों के वेतनमान को राज्य सरकार के वेतनमान से नहीं जोड़ा जाना है। Bonus, Incentive Scheme आदि का भी प्रावधान किया जाना है।

1.6 ACR के लिए objective criteria निर्धारित किया जाना है तथा कुछ खास अनाकर्षक जगहों के लिए खास भत्ता आदि का प्रावधान रखा जाना है।

1.7 पी.एफ.सी. को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उपर्युक्त बिन्दुओं को समाहित कर विभिन्न कम्पनियों की नियुक्ति पॉलिसी को अन्तिम रूप दिया जाय।

2. 16 के.वी.ए./25 के.वी.ए. के कम क्षमता वाले खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों को बदलने तथा उनकी मरम्मति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी।

2.1 विभिन्न क्षमता के छोटे वितरण ट्रान्सफॉरमरों की कुल संख्या तथा 10 के.वी.ए./16 के.वी.ए./ 25 के.वी.ए./40 के.वी.ए. के खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों की संख्या जिलावार शीघ्र reconcile किया जाना है तथा आँकड़ों को नियमित ढ़ंग से अद्यतन किया जाना है।

2.2 चूँकि कम क्षमता वाले वितरण ट्रान्सफॉरमर में कॉपर क्वायल का इस्तेमाल किया गया है, चोरी की कई घटनाएँ हुई हैं। अतः इनका उपयोग शहरी क्षेत्रों में किया जाना ठीक रहेगा। 16 के.वी.ए./25 के. वी.ए. के वितरण ट्रान्सफॉरमरों की मरम्मति के बाद शहरी क्षेत्रों में HVDS, LTIS, NDS आदि में इस्तेमाल के लिए रूप–रेखा तैयार की जानी है।

2.3 राज्य में निर्माणाधीन 13 टी.आर.डब्ल्यू. में से 06 क्षेत्रों में एक–एक नये टी.आर.डब्ल्यू. को PPP Mode पर 10 के.वी.ए./16 के.वी.ए./ 25 के.वी.ए./40 के.वी.ए./63 के.वी.ए./100 के.वी.ए./200 के.वी.ए. के वितरण ट्रान्सफॉरमरों को रिपेयर करने के लिए एजेन्सी अगस्त,2013 तक तय कर लिया जाना है।

2.4 प्रथम चरण में 25 के.वी.ए. तीन फेज के खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों को 63 के.वी.ए. के वितरण ट्रान्सफॉरमर से प्राथमिकता पर बदला जाना है तथा रिलिज्ड खराब 25 के.वी.ए. वितरण ट्रान्सफॉरमर का मरम्मत करवाया जाना है। वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदलने तथा संबंधित एल.टी. नेटवर्क के विस्तारीकरण आदि का आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण किया जाना है।

2.5 खास स्थलों पर 2x25 के.वी.ए. वितरण ट्रान्सफॉरमर लगाकर क्षमता विस्तार करने की उपयुक्तता को भी ध्यान में रखा जाना है।

2.6 वितरण ट्रान्सफॉरमरों को बदलने तथा संबंधित एच.टी./एल.टी. नेटवर्क के modification करने के लिए बड़े पैमाने पर एजेन्सियों को विकसित किया जाना है। 63 के.वी.ए./100 के.वी.ए./200 के.वी.ए. के वितरण ट्रान्सफारमरों को रेट कंट्रैक्ट के आधार पर सुगमता से क्रय किये जाने के लिए भी पहल की जानी है।

2.7 सभी खराब 25 के.वी.ए. (तीन फेज) वितरण ट्रान्सफॉरमरों को 06 माह के अन्दर 63 के.वी.ए. उच्च क्षमता वाले वितरण ट्रान्सफॉरमर से बदलने हेतु कार्य योजना तैयार कर उसका गहन अनुश्रवण किया जाना है।

2.8 भंडार में उपलब्ध वितरण ट्रान्सफॉरमर का इस्तेमाल MPLADS/ MLALADS की राशि प्राप्त होते ही की जानी है। इस संबंध में MPLADS/MLALADS Fund के प्रावधानों में अगर कोई परिवर्त्तन की आवश्यकता है तो सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

3. अन्य बिन्दु:

3.1 पावर एवं वितरण ट्रान्सफॉरमर के preventive maintenance पर विशेष निगरानी रखी जानी है।

3.2 सभी प्रकार के इनर्जी मीटर का समय पर क्रय एवं भंडारण पर्याप्त संख्या में समय पर क्रय एवं भंडारण सुनिश्चित किया जाना है।

3.3 नॉर्थ बिहार/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड के 05–05 शहरों में स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था के लिए अविलंब पहल की जानी है।

3.4 जून,2013 तक सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं (684143)को मीटरीकृत किया जाना है तथा खराब इनर्जी मीटरों को बदल दिया जाना है। मीटरीकरण के तुरत बाद उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से बिलिंग साइकल में लाया जाना है।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड बैठक–24/2009 (खंड–I) 2472 पटना, दिनांक 13/5/13

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/13.

सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।